

दिनांक-14.10.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन
कार्यावली संख्या - 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक-25.08.2026 का लंबित संशोधित समय-सारणी।

क्र० सं०	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
1	BR11PC-9255 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री कार्या नंद कुमार, पता-गोकुल कृष्णा आश्रम, के० हाट, जिला-पूर्णियाँ।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-05.11.26 फिटनेश-01.02.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-16.10.26	अप्राप्त

कार्यावली संख्या - 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
2	BR09PA-8311 (27.08.2018) श्रीमती कुमकुम कुमारी पिता- श्री संजय कुमार, पता-गोरगावां नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.27 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-04.09.27	अप्राप्त
3	BR09PA-6809 (27.08.2018) श्री रंजन कुमार, पिता-श्री देव ना० प्रसाद सिंह, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.27 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-04.09.27	अप्राप्त
4	BR09PA-8768 (24.11.2023) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-संजय कुमार, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-23.11.26 फिटनेश-23.11.27 बीमा-09.11.26 प्रदूषण-22.11.26	अप्राप्त

5	BR09M-6809 (28.11.2013) श्री संजय कुमार, पिता-देवनन्दन प्रो सिंह, पता-गोरगामा, नयागॉव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-10.12.26 बीमा-15-11-26 प्रदूषण-04.09.27	अप्राप्त																																																
6	BR06PF-6809 (26.03.2021) श्री संजय कुमार पिता-देवनन्दन प्रसाद सिंह पता- गोरगामा, थाना-नयागॉव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.12.26 फिटनेश-25.03.27 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-24.04.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती कुमकुम देवी, वाहन सं0-BR08P-5751 का कहना है कि वाहन सं0-BR06PF-6809 मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आवेदित है, जिस पर वाहन सं0-BR08P-5751 से आपत्ति है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता दोनों का नौगछिया जीरोमाईल प्रस्थान 16:22 समान है, लेकिन आवेदनकर्ता वाहन स्वामी भागलपुर जीरोमाईल से 15:22 प्रस्थान करके नौगछिया जीरोमाईल की दूरी 16 किमी0 को 55 मिनट में तय करते हैं, ये यात्री हित में नहीं है, जबकि समान रूप से सभी वाहन 35-40 मिनट दूरी तय करते हैं, समय-सारणी निम्न है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>भागलपुर रे0स्टे0 प्र0</td><td>14:55</td><td>15:10 (आगे)</td></tr><tr><td>भागलपुर जीरोमाईल प्र0</td><td>15:22</td><td>15:38 (आगे)</td></tr><tr><td>नौगछिया जीरोमाईल प्र0</td><td>16:22</td><td>16:22 (समान)</td></tr><tr><td>थाना बिहपुर प्र0</td><td>16:40</td><td>16:42 (आगे)</td></tr><tr><td>नारायणपुर प्र0</td><td>16:57</td><td>16:56 (पीछे)</td></tr><tr><td>पसराहा प्र0</td><td>17:18</td><td>17:16 (पीछे)</td></tr><tr><td>महेशखूँट प्र0</td><td>17:52</td><td>17:40 (पीछे)</td></tr><tr><td>मानसी प्र0</td><td>18:13</td><td>18:00 (पीछे)</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र0</td><td>18:43</td><td>18:18 (पीछे)</td></tr><tr><td>बलिया प्र0</td><td>19:22</td><td>18:55 (पीछे)</td></tr><tr><td>बेगूसराय आ0</td><td>19:54</td><td>19:26 (पीछे)</td></tr></table> आपत्तिकर्ता वाहन सं0-BR08P-5751 से आवेदनकर्ता वाहन सं0-BR06PF-6809 भागलपुर रेलवे स्टेशन से 15 मिनट आगे खुलकर नौगछिया जीरोमाईल में समान समय एवं नारायणपुर से सम्पूर्ण मार्ग बेगूसराय तक पीछे चलते हैं, जो ओवरटेक का मामला है। आवेदनकर्ता वाहन सं0-BR06PF-6809 भागलपुर रेलवे स्टेशन से प्रस्थान आगे है, तो सम्पूर्ण मार्ग आगे ही रहना चाहिए जो यात्रीहित में होगा नहीं तो आगे खुलकर पीछे चलना यात्री हित में नहीं है। आवेदनकर्ता को सम्पूर्ण मार्ग आगे का समय-सारणी लिया जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन संख्या BR08P-5751 के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए एवं वाहन सं0-BR06PF-6809 आवेदनकर्ता से संशोधित समय-सारणी लिया जाए। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्रीमती कुमकुम देवी, वाहन सं0-BR09PA-9206 का कहना है कि वाहन सं0-BR06PF-6809 मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आवेदित है, जिस पर वाहन सं0-BR09PA-9206 से आपत्ति है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता दोनों का बेगूसराय प्रस्थान 08:53 समान है, लेकिन आवेदनकर्ता वाहन स्वामी बेगूसराय से बलिया 18 किमी0 की दूरी 50 मिनट में तय करते हैं, जबकि समान रूप से लगभग सभी वाहन ये दूरी 30 से 35 मिनट में दूरी तय करते हैं, जिससे बेगूसराय से खुलने के बाद अत्यधिक पीछे हो जाता है, जिससे यात्री को असुविधा का सामना करना पड़ेगा जिससे बेगूसराय से खुलने के बाद समय-सारणी आगे-पीछे हो जाता है। जिससे परिचालन में समस्या उत्पन्न होगी, समय-सारणी निम्न है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बेगूसराय प्र0</td><td>08:53</td><td>08:53</td></tr><tr><td>बलिया</td><td>09:43-09:48</td><td>09:28-09:33 (50 मिनट)</td></tr><tr><td>खगड़िया</td><td>10:37-10:42</td><td>10:17-10:22 (49 मिनट)</td></tr></table>		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	भागलपुर रे0स्टे0 प्र0	14:55	15:10 (आगे)	भागलपुर जीरोमाईल प्र0	15:22	15:38 (आगे)	नौगछिया जीरोमाईल प्र0	16:22	16:22 (समान)	थाना बिहपुर प्र0	16:40	16:42 (आगे)	नारायणपुर प्र0	16:57	16:56 (पीछे)	पसराहा प्र0	17:18	17:16 (पीछे)	महेशखूँट प्र0	17:52	17:40 (पीछे)	मानसी प्र0	18:13	18:00 (पीछे)	खगड़िया प्र0	18:43	18:18 (पीछे)	बलिया प्र0	19:22	18:55 (पीछे)	बेगूसराय आ0	19:54	19:26 (पीछे)		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र0	08:53	08:53	बलिया	09:43-09:48	09:28-09:33 (50 मिनट)	खगड़िया	10:37-10:42	10:17-10:22 (49 मिनट)
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																																		
भागलपुर रे0स्टे0 प्र0	14:55	15:10 (आगे)																																																		
भागलपुर जीरोमाईल प्र0	15:22	15:38 (आगे)																																																		
नौगछिया जीरोमाईल प्र0	16:22	16:22 (समान)																																																		
थाना बिहपुर प्र0	16:40	16:42 (आगे)																																																		
नारायणपुर प्र0	16:57	16:56 (पीछे)																																																		
पसराहा प्र0	17:18	17:16 (पीछे)																																																		
महेशखूँट प्र0	17:52	17:40 (पीछे)																																																		
मानसी प्र0	18:13	18:00 (पीछे)																																																		
खगड़िया प्र0	18:43	18:18 (पीछे)																																																		
बलिया प्र0	19:22	18:55 (पीछे)																																																		
बेगूसराय आ0	19:54	19:26 (पीछे)																																																		
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																																		
बेगूसराय प्र0	08:53	08:53																																																		
बलिया	09:43-09:48	09:28-09:33 (50 मिनट)																																																		
खगड़िया	10:37-10:42	10:17-10:22 (49 मिनट)																																																		

				मानसी प्र० 10:53-10:58 10:33-10:37 आपत्तिकर्ता वाहन सं०-BR09PA-9206 से आवेदनकर्ता वाहन सं०-BR06PF-6809 बेगूसराय से समान समय प्रस्थान करके बलिया की दूरी 18 किमी 50 मिनट में तय करते हैं, ये यात्री के हित में नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं०-BR09PA-9206 के आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाहन सं०-BR06PF-6809 का समय-सारणी यात्रीहित में नहीं है, संशोधित समय-सारणी लिया। आवेदनकर्ता एवं प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3200 बेगूसराय से भागलपुर है।																
7	BR09PA-6807 (27.08.2018) श्री राज कुमार पिता-श्री बब्लु कुमार सिंह, पता-शाहपुर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.27 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-09.09.27	अप्राप्त																
8	BR09R-0110 (21.04.2016) श्री रंजीत कुमार, पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, नौकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015 अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-20.10.26 फिटनेश-02.12.26 बीमा-24.01.27 प्रदूषण-08.10.26	अप्राप्त																
9	BR10P-7279 (29.05.2012) श्री संजय कुमार पिता-श्री देव नंदन प्रसाद सिंह पता-गुरगाँव, नयागाँव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-16.05.27 बीमा-27.02.27 प्रदूषण-27.08.27	अप्राप्त																
10	BR08P-5749 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, नौकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रोस्टे० से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.11.25 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त																
11	BR08P-5751 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रोस्टे०। भाया-बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं०-BR06PF-6809 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>भागलपुर रोस्टे० प्र०</td><td>15:10 14:55</td></tr><tr><td>नौगछिया जीरोमाईल प्र०</td><td>16:22 16:22</td></tr><tr><td>नारायणपुर प्र०</td><td>16:56 16:57</td></tr><tr><td>पसराहा प्र०</td><td>17:16 17:18</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र०</td><td>17:40 17:52</td></tr><tr><td>मानसी प्र०</td><td>18:00 18:13</td></tr><tr><td>खगडिया प्र०</td><td>18:18 18:43</td></tr></table>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	भागलपुर रोस्टे० प्र०	15:10 14:55	नौगछिया जीरोमाईल प्र०	16:22 16:22	नारायणपुर प्र०	16:56 16:57	पसराहा प्र०	17:16 17:18	महेशखूंट प्र०	17:40 17:52	मानसी प्र०	18:00 18:13	खगडिया प्र०	18:18 18:43
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																			
भागलपुर रोस्टे० प्र०	15:10 14:55																			
नौगछिया जीरोमाईल प्र०	16:22 16:22																			
नारायणपुर प्र०	16:56 16:57																			
पसराहा प्र०	17:16 17:18																			
महेशखूंट प्र०	17:40 17:52																			
मानसी प्र०	18:00 18:13																			
खगडिया प्र०	18:18 18:43																			

		(01 अप 01 डाउन)		बलिया प्र018:5519:22 आवेदनकर्ता भागलपुर रेलवे स्टेशन से आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के पीछे खुलकर नौगछिया जीरो माईल में Same समय-सारणी 16:22 है तथा ओभरटेक कर नारायणपुर पसराहा, महेशखूंट में आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्ता का क्रमांक 10 है एवं आपत्तिकर्ता का क्रमांक सं0-05 है। आपत्तिकर्ता आवेदन में वरीय है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।																						
12	BR08P-5754 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी, श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नाँवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं0-BR34P-7883 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><thead><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr></thead><tbody><tr><td>कबेला प्र0</td><td>04:5905:00</td></tr><tr><td>नयागोंव प्र0</td><td>05:1505:16</td></tr><tr><td>परबत्ता प्र0</td><td>05:4005:42</td></tr><tr><td>मड़ैया प्र0</td><td>06:0106:02</td></tr><tr><td>जमालपुर प्र0</td><td>06:2106:22</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र0</td><td>06:5006:51</td></tr><tr><td>मानसी प्र0</td><td>07:1007:11</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र0</td><td>07:2307:24</td></tr><tr><td>बलिया प्र0</td><td>08:0308:04</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र0</td><td>08:3508:37</td></tr></tbody></table> आपत्तिकर्ता के निर्गत परमिट के प्रत्येक बिन्दु पर एक मिनट पूर्व का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग का 98 प्रतिशत भाग समान है। आवेदनकर्ता का परमिट आवेदन स्वीकृत करने से आपत्तिकर्ता को अपूर्ण आर्थिक क्षति होगी। आपत्तिकर्ता का वाहन का परिचालन बंद हो जायेगा। आपत्तिकर्ता मात्र 12 दिन पूर्व परमिट का उठाव किये हैं। वाहन का परिचालन बंद कराने की नियत से आवेदनकर्ता आवेदन किये हैं। परमिट की स्वीकृति पाँच साल के लिए दी जाती है। अगर आवेदनकर्ता का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो आपत्तिकर्ता का वाहन का परिचालन बंद हो जायेगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	कबेला प्र0	04:5905:00	नयागोंव प्र0	05:1505:16	परबत्ता प्र0	05:4005:42	मड़ैया प्र0	06:0106:02	जमालपुर प्र0	06:2106:22	महेशखूंट प्र0	06:5006:51	मानसी प्र0	07:1007:11	खगड़िया प्र0	07:2307:24	बलिया प्र0	08:0308:04	बेगूसराय प्र0	08:3508:37
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																									
कबेला प्र0	04:5905:00																									
नयागोंव प्र0	05:1505:16																									
परबत्ता प्र0	05:4005:42																									
मड़ैया प्र0	06:0106:02																									
जमालपुर प्र0	06:2106:22																									
महेशखूंट प्र0	06:5006:51																									
मानसी प्र0	07:1007:11																									
खगड़िया प्र0	07:2307:24																									
बलिया प्र0	08:0308:04																									
बेगूसराय प्र0	08:3508:37																									
13	BR52P-5992 (05.05.2026) श्री प्रतीक कुमार, पिता-श्री सुनील प्रसाद, पता-खेतलपुरा, बरबीघा अस्थावा, नालंदा जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1524 डाउन, बरबीघा से वार्सलीगंज। भाया-शेखोपुर एवं शाहपुर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-19.10.26 फिटनेश-04.05.28 बीमा-19.04.27 प्रदूषण-04.05.27	अप्राप्त																						
14	BR09PA-8162 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015, अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-09.04.27 प्रदूषण-24.05.27	अप्राप्त																						
15	BR09PA-8163 (06.04.2023) श्री अमरजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागोंव एवं कबेला। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-20.05.27 प्रदूषण-18.09.27	अप्राप्त																						

16	BR09PA-8166 (06.04.2023) श्री बिनीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-01.05.27 प्रदूषण-03.05.27	अप्राप्त												
17	BR09PA-8167 (06.04.2023) श्री अमरजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगाँवा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3001 डाउन, बेगूसराय से शहरबन्नी। भाया-मंझौल, बखरी, आशापोखर हरिपुर एवं ज्वालापुर चौक। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-15.05.27 प्रदूषण-30.06.27	अप्राप्त												
18	BR09PA-9159 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागाँव, परबता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-16.06.28 बीमा-16.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त												
19	BR09PA-9166 (06.06.2024) श्री अमरजीत कुमार, पता-श्री रामनंदन सिंह, पता-वार्ड नं०-04, पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-14.04.27 प्रदूषण-18.09.27	अप्राप्त												
20	BR09M-6805 (28.11.2013) श्री अंकज कुमार, पिता-पारस नाथ सिंह, पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-25.12.26 बीमा-15.11.26 प्रदूषण-12.09.26	अप्राप्त												
21	BR09PA-9170 (06.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रेलवे। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसरहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-22.06.28 बीमा-14.04.27 प्रदूषण-11.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार, वाहन सं०-BR09PA-6809 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>भागलपुर रेलवे प्र०</td><td>14:38</td><td>13:55</td></tr><tr><td>मानसी प्र०</td><td>17:28</td><td>17:30</td></tr><tr><td>बलिया प्र०</td><td>18:28</td><td>18:39</td></tr></table> आवेदनकर्ता भागलपुर रेलवे स्टेशन से 14:38 आपत्तिकर्ता के वाहन के समय-सारणी से 43 मिनट पीछे खुलकर ओवरटेक कर मानसी और बलिया में आगे हो जाते हैं। आवेदनकर्ता का आवेदन क्रमांक 20 है तथा आपत्तिकर्ता का आवेदन क्रमांक 2 है। आपत्तिकर्ता का आवेदन पहले है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	भागलपुर रेलवे प्र०	14:38	13:55	मानसी प्र०	17:28	17:30	बलिया प्र०	18:28	18:39
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता														
भागलपुर रेलवे प्र०	14:38	13:55														
मानसी प्र०	17:28	17:30														
बलिया प्र०	18:28	18:39														

22	BR09P-8511 (04.07.2014) श्री राज कुमार पिता- श्री बब्लू कुमार सिंह पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-03.10.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-22.06.27 प्रदूषण-03.12.26	अप्राप्त
23	BR09PA-6805 (30.08.2018) श्री अंकज कुमार पिता-पारसनाथ सिंह, पता-शाहपुर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रै0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-11.09.27 बीमा-28.08.27 प्रदूषण-29.08.27	अप्राप्त
24	BR09H-9431 (19.02.2010) श्री राज किशोर राय, पिता-श्री कुशो राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3107, हसनपुर से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-18.11.26 फिटनेश-29.07.27 बीमा-06.12.26 प्रदूषण-21.07.27	अप्राप्त
25	BR09PB-8123 (22.08.2026) श्री मनोज कुमार, पिता-श्री रामदया सिंह, पता-तिलक नगर स्टेशन रोड नजदीक लहेरी धर्मशाला, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रै0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-16.11.26 फिटनेश-21.08.28 बीमा-16.08.27 प्रदूषण-21.08.27	अप्राप्त
26	BR09PA-1034 (31.03.2017) श्री राज किशोर राय, पिता-स्व0 कुशो राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3107 डाउन, बेगूसराय से हसनपुर। भाया-मंझौल एवं गढ़पुरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-29.12.26 फिटनेश-06.04.27 बीमा-15.01.27 प्रदूषण-17.06.27	अप्राप्त
27	BR06PF-9121 (23.03.2021) श्री चुनचुन कुमार, पिता-श्री मनोज कुमार, पता-तिलक नगर स्टेशन रोड नजदीक लहेरी धर्मशाला, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रै0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.12.26 फिटनेश-19.03.27 बीमा-26.02.27 प्रदूषण-18.04.27	अप्राप्त

28	BR09PA-3211 (25.04.2018) श्री अमन कुमार, पिता-श्री रमाशीष सिंह, पता-बिहट, बरौनी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-2981 अगुवानी घाट से पटना मीठापुर बस स्टैण्ड। भाया-जमालपुर, महेशखूंट, खगडिया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़ एवं बख्तियारपुर। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.10.26 फिटनेश-04.06.27 बीमा-08.11.26 प्रदूषण-30.10.26	अप्राप्त																							
29	BR09PA-9172 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार, पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-18.06.28 बीमा-16.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त																							
30	BR09R-8151 (18.08.2015) श्री कैलाश राय, पिता-स्व0 कारी राय, पता-रजौरा, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-17.11.26 फिटनेश-16.09.27 बीमा-05.09.27 प्रदूषण-17.07.27	अप्राप्त																							
31	BR09PA-9165 (04.06.2024) श्री अजीत कुमार, पिता- श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-17.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त																							
32	BR01PT-2932 (23.04.2026) श्रीमती मोनी कुमारी, पति-श्री प्रतीक कुमार, पता-इसुआ डीह, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-25.12.26 फिटनेश-22.04.28 बीमा-20.04.27 प्रदूषण-22.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं0-BR01PT-3099 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से वाहन सं0-BR01PT-2932 आवेदन सं0-31 पर निम्न टकराव है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>हथिदाह प्र0</td><td>पहली पाली</td></tr><tr><td></td><td>05:30</td><td>05:29</td></tr><tr><td>मोकामा प्र0</td><td>दूसरी पाली</td></tr><tr><td></td><td>08:26</td><td>08:25</td></tr></table> जो कि प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है। मध्य बिन्दु पर 02 मिनट आगे और 02 मिनट पीछे रहना है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि आवेदन को खारिज किया जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	हथिदाह प्र0	पहली पाली		05:30	05:29	मोकामा प्र0	दूसरी पाली		08:26	08:25											
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																										
हथिदाह प्र0	पहली पाली																										
	05:30	05:29																									
मोकामा प्र0	दूसरी पाली																										
	08:26	08:25																									
33	BR09PA-9542 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-05.11.26 बीमा-21.11.26 प्रदूषण-09.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री अंकज कुमार, वाहन सं0-BR08P-5564 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र0</td><td>13:04</td><td>13:09</td></tr><tr><td>बलिया प्र0</td><td>13:44</td><td>13:44</td></tr><tr><td>खगडिया प्र0</td><td>14:34</td><td>14:30</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र0</td><td>15:13</td><td>15:09</td></tr><tr><td>थाना बिहपुर प्र0</td><td>16:10</td><td>16:02</td></tr><tr><td>नौगछिया जीरोमाईल प्र0</td><td>16:28</td><td>16:23</td></tr><tr><td>भागलपुर जीरोमाईल प्र0</td><td>16:55</td><td>16:52</td></tr></table>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र0	13:04	13:09	बलिया प्र0	13:44	13:44	खगडिया प्र0	14:34	14:30	महेशखूंट प्र0	15:13	15:09	थाना बिहपुर प्र0	16:10	16:02	नौगछिया जीरोमाईल प्र0	16:28	16:23	भागलपुर जीरोमाईल प्र0	16:55	16:52
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																										
बेगूसराय प्र0	13:04	13:09																									
बलिया प्र0	13:44	13:44																									
खगडिया प्र0	14:34	14:30																									
महेशखूंट प्र0	15:13	15:09																									
थाना बिहपुर प्र0	16:10	16:02																									
नौगछिया जीरोमाईल प्र0	16:28	16:23																									
भागलपुर जीरोमाईल प्र0	16:55	16:52																									

				आवेदनकर्ता बेगूसराय से 05 मिनट पूर्व प्रस्थान कर बलिया में Same समय-सारणी एवं ओमरटेक कर खगड़िया से पीछे हो जाते हैं। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित समय-सारणी एक समान मार्ग पर ओमरटेक मान्य नहीं है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3200 डाउन भागलपुर से बेगूसराय है।
34	BR09PA-8528 (19.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.12.26 फिटनेश-06.02.27 बीमा-06.02.27 प्रदूषण-16.09.27	अप्राप्त
35	BR09M-1040 (11.10.2012) श्रीमती सुनीता देवी, पति-श्री सुधीर कुमार, पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-10.10.26 फिटनेश-27.03.27 बीमा-14.01.27 प्रदूषण-12.09.27	अप्राप्त
36	BR09PA-8534 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.12.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-21.02.27 प्रदूषण-16.09.27	अप्राप्त
37	BR09PA-8537 (20.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.12.26 फिटनेश-19.09.27 बीमा-26.12.26 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त
38	BR53G-0021 (10.04.2026) मौसम दूर एवं ट्रेडर्स, पति-श्री अमित कुमार, पता-नडियामा, रामगढ़ चौक, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-05.10.26 फिटनेश-09.04.28 बीमा-05.04.27 प्रदूषण-09.04.27	अप्राप्त
39	BR09PA-9163 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-24.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
40	BR09PA-9546 (06.11.2024) श्री रंजीत कुमार पिता- श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-05.11.26 बीमा-22.11.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त

41	BR09PA-9169 (06.06.2024) श्री रंजीत कुमार पिता- श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागाँव, परबता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-18.06.28 बीमा-26.05.27 प्रदूषण-17.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती मीनू देवी, वाहन सं0-BR08P-5588 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>कबेला प्र0</td><td>06:15</td><td>06:00</td></tr><tr><td>नयागाँव प्र0</td><td>06:30</td><td>06:15</td></tr><tr><td>परबता प्र0</td><td>06:55</td><td>06:50</td></tr><tr><td>मड़ैया प्र0</td><td>07:15</td><td>07:20</td></tr><tr><td>जमालपुर प्र0</td><td>07:35</td><td>07:50</td></tr></table> आवेदनकर्ता कबेला से 06:15 में आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से 15 मिनट पीछे प्रस्थान कर मड़ैया में ओभरटेक कर 05 मिनट आगे हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर आगे-आगे का समय-सारणी दिये हैं। यह पूर्ण रूप से ओभरटेक का मामला है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार ओभरटेक समय-सारणी मान्य नहीं है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	कबेला प्र0	06:15	06:00	नयागाँव प्र0	06:30	06:15	परबता प्र0	06:55	06:50	मड़ैया प्र0	07:15	07:20	जमालपुर प्र0	07:35	07:50			
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																							
कबेला प्र0	06:15	06:00																							
नयागाँव प्र0	06:30	06:15																							
परबता प्र0	06:55	06:50																							
मड़ैया प्र0	07:15	07:20																							
जमालपुर प्र0	07:35	07:50																							
42	BR09PA-9160 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता- श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.12.26 फिटनेश-15.06.28 बीमा-23.05.27 प्रदूषण-18.09.27	अप्राप्त																					
43	BR09PA-9608 (04.12.2024) श्री रंजीत कुमार, पिता-श्री रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामां, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.12.26 फिटनेश-03.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त																					
44	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.12.26 फिटनेश-24.06.28 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-30.06.27	अप्राप्त																					
45	BR53B-5865 (03.12.2012) श्री राजीव कुमार, पिता-श्री राम निरंजन प्रसाद सिंह, पता-हसनपुर, महिसोना, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-191, लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज। भाया-लखीसराय लालू बस पड़ाव, सिकन्दरा बस स्टैण्ड, रामगढ़ चौक, हलसी एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-02.11.26 फिटनेश-28.09.27 बीमा-27.09.27 प्रदूषण-28.09.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राहुल कुमार, वाहन सं0-BR11PC-9255 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>लखीसराय प्र0</td><td>05:09</td><td>05:10</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0</td><td>06:59</td><td>07:00</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र0</td><td>09:09</td><td>09:10</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0</td><td>10:34</td><td>10:35</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र0</td><td>01:54</td><td>01:55</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र0</td><td>16:02</td><td>16:03</td></tr></table> आवेदनकर्ता श्री राजीव कुमार टैक्स डिफॉल्टर है। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के समय-सारणी को देखकर मुख्य बिन्दु पर एक मिनट पहले का समय-सारणी दिये हैं। आपत्तिकर्ता का आवेदन पूर्व से		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	लखीसराय प्र0	05:09	05:10	सिकन्दरा प्र0	06:59	07:00	लखीसराय प्र0	09:09	09:10	सिकन्दरा प्र0	10:34	10:35	लखीसराय प्र0	01:54	01:55	सिकन्दरा प्र0	16:02	16:03
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																							
लखीसराय प्र0	05:09	05:10																							
सिकन्दरा प्र0	06:59	07:00																							
लखीसराय प्र0	09:09	09:10																							
सिकन्दरा प्र0	10:34	10:35																							
लखीसराय प्र0	01:54	01:55																							
सिकन्दरा प्र0	16:02	16:03																							

				संशोधित हेतु लम्बित है। आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता का 90 प्रतिशत मार्ग समान है। आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी स्वीकृत करने से आपत्तिकर्ता को वाहन परिवालन में परेशानी होगी। आपत्तिकर्ता को आर्थिक क्षति पहुँचाने की नियत से आवेदनकर्ता इस प्रकार का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 191 लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है।
46	BR09PA-6655 (24.08.2021) श्री अंकज कुमार, पिता-पारस नाथ सिंह, पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-23.11.26 फिटनेश-23.09.27 बीमा-09.08.27 प्रदूषण-05.09.27	अप्राप्त
47	BR08P-5490 (17.10.2024) श्री संजय कुमार, पिता-देव ना0 प्रसाद सिंह, पता-गोरगामां, नयागॉव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-10.10.26 फिटनेश-16.10.26 बीमा-10.10.26 प्रदूषण-16.10.26	अप्राप्त
48	BR21K-1811 (29.09.2014) श्री अरूण कुमार, पिता-श्री माराकाण्डे सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-25.12.26 फिटनेश-05.03.27 बीमा-25.02.27 प्रदूषण-29.11.26	अप्राप्त
49	BR09PA-6406 (17.04.2021) श्री पिंकू कुमार सिंह, पिता-राम पदारथ सिंह, पता-पन्हास, सुहिर्द नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.12.26 फिटनेश-16.04.27 बीमा-24.03.27 प्रदूषण-26.03.27	अप्राप्त
50	BR09PA-7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता-श्री राम चन्द्र सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिर्द नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागॉव एवं कबैला। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-20.11.26 फिटनेश-07.05.27 बीमा-30.03.27 प्रदूषण-06.08.27	अप्राप्त

51	BR21P-9059 (30.06.2023) श्री शिव शंकर कुमार, पिता-श्री चुन्नु प्रसाद सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेस-20.02.28 बीमा-07.06.27 प्रदूषण-07.03.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती मोनी कुमारी, वाहन सं0-BR01PT-2932 का कहना है कि बेगूसराय में दोनों वाहन का same समय-सारणी है। जो निम्न है:- <table> <tr> <th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr> <tr> <td>बेगूसराय प्र0 11:15</td><td>11:15</td></tr> </table> आवेदक बरबीघा से 05:18 में प्रस्थान कर सरमेरा 05:29 में आगमन करते हैं। बरबीघा से सरमेरा की दूरी आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन में 12 कि0मी0 वर्णित किया है जिसे आवेदनकर्ता 11 मिनट में तय कर रहे हैं। आवेदनकर्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। बरबीघा से सरमेरा के बीच एक रेलवे क्रासिंग, एक टोल टेक्स, बरबीघा बाजार और कोयरीबीघा बाजार है। इस प्रकार बरबीघा से सरमेरा की दूरी 11 मिनट में तय करना संभव नहीं है। आवेदनकर्ता मोकामा से 05:59 में प्रस्थान कर हाथीदह 06:09 में पहुँच रहे हैं। मोकामा से हाथीदह की दूरी 10 कि0मी0 आवेदनकर्ता 10 मिनट में तय कर रहे हैं। मोकामा से हाथीदह के बीच मोकामा बाजार, सी0आर0पी0 कैम्प, दरीयापुर बाजार और मस्जिद है। मोकामा से हाथीदह का रास्ता सर्किण है। इस मार्ग पर 60 कि0मी0 प्रति घंटा की गति से वाहन का परिचालन संभव नहीं है। आवेदनकर्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता बेगूसराय से 07:20 पूर्वाह्न में वाहन का परिचालन प्रारम्भ कर 14:55 अपराह्न तक बेगूसराय से बरबीघा के बीच वाहन का परिचालन कर रहे हैं। इस प्रकार वाहन स्वामी 07 घंटा 05 मिनट में बिना रुके वाहन का परिचालन कर रहे हैं। पाँच घंटा वाहन के परिचालन के बाद वाहन को आधा घंटा विश्राम देना है। आवेदनकर्ता बेगूसराय से 11:15 में प्रस्थान कर हाथीदह आगमन 11:45 में करते हैं तथा हाथीदह से 11:50 में प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्ता हाथीदह आगमन 11:41 में तथा प्रस्थान 11:45 में करते हैं। आवेदनकर्ता हाथीदह से आपत्तिकर्ता के वाहन से पाँच मिनट पहले प्रस्थान कर मोकामा आगमन 12:15 में तय करते हैं जबकि आवेदनकर्ता मोकामा आगमन 11:55 में करते हैं। मोकामा से आवेदनकर्ता 12:18 में प्रस्थान करते हैं तथा आपत्तिकर्ता 11:57 में प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी में ओवरटेकिंग निम्न है:- <table> <tr> <th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr> <tr> <td>बेगूसराय प्र0 11:15</td><td></td></tr> <tr> <td>हाथीदह आ0 11:45</td><td>11:41</td></tr> <tr> <td>हाथीदह प्र0 11:50</td><td>11:45</td></tr> <tr> <td>मोकामा आ0 11:55</td><td>11:57 (प्र0)</td></tr> <tr> <td>मोकामा प्र0 12:18</td><td></td></tr> </table> अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0-BR01PR-8229 का कहना है कि प्रस्तावित समय-सारणी एवं मेरी वाहन के निर्गत समय-सारणी के बीच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:- <table> <tr> <th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr> <tr> <td>मोकामा प्र0 12:18</td><td>12:21</td></tr> <tr> <td>सरमेरा आ0 12:45</td><td>12:50</td></tr> <tr> <td>सरमेरा प्र0 12:50</td><td>12:45</td></tr> <tr> <td>बरबीघा आ0 13:20</td><td>01:09</td></tr> </table> आवेदनकर्ता मोकामा से 12:18 में प्रस्थान करते हैं जबकि आपत्तिकर्ता 12:21 में मोकामा से प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्ता सरमेरा 12:45 में आगमन करते हैं तथा आपत्तिकर्ता सरमेरा 12:50 में आगमन करते हैं। सरमेरा से आवेदनकर्ता 12:50 में प्रस्थान कर बरबीघा 13:20 में आगमन करते हैं जबकि आपत्तिकर्ता सरमेरा से 12:54 में प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 01:09 में करते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता का प्रस्तावित समय-सारणी से ओवरटेकिंग है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-45 बेगूसराय से बरबीघा है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र0 11:15	11:15	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र0 11:15		हाथीदह आ0 11:45	11:41	हाथीदह प्र0 11:50	11:45	मोकामा आ0 11:55	11:57 (प्र0)	मोकामा प्र0 12:18		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	मोकामा प्र0 12:18	12:21	सरमेरा आ0 12:45	12:50	सरमेरा प्र0 12:50	12:45	बरबीघा आ0 13:20	01:09
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																													
बेगूसराय प्र0 11:15	11:15																													
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																													
बेगूसराय प्र0 11:15																														
हाथीदह आ0 11:45	11:41																													
हाथीदह प्र0 11:50	11:45																													
मोकामा आ0 11:55	11:57 (प्र0)																													
मोकामा प्र0 12:18																														
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																													
मोकामा प्र0 12:18	12:21																													
सरमेरा आ0 12:45	12:50																													
सरमेरा प्र0 12:50	12:45																													
बरबीघा आ0 13:20	01:09																													

52	BR21PA-2478 (16.09.2026) श्री अरमान कुमार, पिता-श्री चुन्नु कुमार, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-14.12.26 फिटनेश-15.09.28 बीमा-28.08.27 प्रदूषण-15.09.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती मोनी कुमारी, वाहन सं0-BR01PT-2932 का कहना है कि प्रस्तावित समय-सारणी एवं मेरी वाहन के निर्गत समय-सारणी के बिच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:- आवेदनकर्ता सरमेरा से 12:20 प्रस्थान कर बरबीघा 12:50 में आगमन कर रहे हैं। आपत्तिकर्ता सरमेरा से 12:22 में प्रस्थान कर बरबीघा 12:35 आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता सरमेरा से आपत्तिकर्ता के वाहन के दो मिनट पूर्व प्रस्थान कर बरबीघा 15 मिनट पिछे आगमन कर रहे हैं जो पूर्णतः ओवरटेकिंग का मामला है। आवेदनकर्ता मोकामा से 07:57 प्रस्थान कर 08:45 में सरमेरा आगमन कर रहे हैं। मोकामा से सरमेरा 22 कि0मी0 की दूरी 48 मिनट में तय कर रहे हैं। पुनः इसी दूरी को तृतीय पाली में सरमेरा से 13:28 में प्रस्थान कर 13:50 में मोकामा आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार एक पाली में दूरी 48 मिनट में तय करते हैं तथा उसी दूरी को तृतीय पाली में 22 मिनट में तय कर रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री हिमांशु कुमार वत्स वाहन सं0-BR21P-9738 का कहना है कि प्रस्तावित समय-सारणी एवं मेरी वाहन के निर्गत समय-सारणी के बिच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>मोकामा प्र0</td><td>07:57</td><td>08:00</td></tr><tr><td>सरमेरा आ0</td><td>08:45</td><td>08:25</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र0</td><td>08:48</td><td>08:29</td></tr></table> मोकामा से आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन के तीन मिनट पहले प्रस्थान कर सरमेरा से आपत्तिकर्ता के वाहन के आगे हो जाते हैं। पुनः सरमेरा से बेगूसराय से हाथीदह की दूरी 28 कि0मी0 है। वाहन का परिचालन नये निर्मित मार्ग six लेन से होता है। आवेदनकर्ता बेगूसराय प्रस्थान 11:00 एवं आवेदनकर्ता हाथीदह आगमन 11:26 में करते हैं। आवेदनकर्ता 28 कि0मी0 की दूरी 26 मिनट में तय कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदक गतिशीलता का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदक बेगूसराय से 07:15 में प्रस्थान कर 17:50 अपराह्न तक वाहन का परिचालन के बाद आधा घंटा वाहन को विश्राम देना है। <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>सरमेरा प्र0</td><td>12:20</td><td>12:28</td></tr><tr><td>बरबीघा आ0</td><td>12:50</td><td>12:42</td></tr></table> इस प्रकार आवेदनकर्ता सरमेरा से पहले प्रस्थान कर बरबीघा आगमन बाद में कर रहे हैं। ओवरटेकिंग का मामला है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-45 बेगूसराय से बरबीघा है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	मोकामा प्र0	07:57	08:00	सरमेरा आ0	08:45	08:25	सरमेरा प्र0	08:48	08:29		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	सरमेरा प्र0	12:20	12:28	बरबीघा आ0	12:50	12:42
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																							
मोकामा प्र0	07:57	08:00																							
सरमेरा आ0	08:45	08:25																							
सरमेरा प्र0	08:48	08:29																							
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																							
सरमेरा प्र0	12:20	12:28																							
बरबीघा आ0	12:50	12:42																							
53	BR34P-7631 (04.02.2026) श्री धर्मबीर सहनी, पिता-श्री सुधीर सहनी, पता-बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045, आलमनगर से खगड़िया। भाया-बेलदौर, सोनवर्षा घाट,, उसराहा (इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-22.10.26 फिटनेश-03.02.28 बीमा-29.01.27 प्रदूषण-03.02.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती रेणू देवी, वाहन सं0-BR34P-7376 का कहना है कि निर्गत परमिट के समय-सारणी के बिच निम्न टकराव है:- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>आलमनगर प्र0</td><td>08:00</td><td>07:58</td></tr></table> आवेदन प्रारंभ बिन्दु पर पाँच मिनट आगे एवं पाँच मिनट पिछे करना है। आवेदनकर्ता मात्र दो मिनट पिछे आवेदन किया है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं0-BR19P-9918 का कहना है कि निर्गत परमिट के समय-सारणी के बिच निम्न टकराव एवं ओवरटेकिंग है:- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>आलमनगर प्र0</td><td>16:34</td><td>15:55</td></tr><tr><td>बेलदौर आ0</td><td>16:27</td><td>16:25</td></tr><tr><td>बेलदौर प्र0</td><td>16:32</td><td>16:35</td></tr></table>		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	आलमनगर प्र0	08:00	07:58		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	आलमनगर प्र0	16:34	15:55	बेलदौर आ0	16:27	16:25	बेलदौर प्र0	16:32	16:35			
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																							
आलमनगर प्र0	08:00	07:58																							
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																							
आलमनगर प्र0	16:34	15:55																							
बेलदौर आ0	16:27	16:25																							
बेलदौर प्र0	16:32	16:35																							

				आलमनगर मेरी गाड़ी से पहले खुलती है बेलदौर मेरी गाड़ी के बाद पहुँचती है। और मेरी गाड़ी से पहले खुल जाती है। जो कि ओवरटेक का मामला है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ तृतीय आपत्तिकर्ता श्रीमती श्वेता सोनी, वाहन सं०-BR09PA-8618 का कहना है कि निर्गत परमिट के समय-सारणी के बिच निम्न टकराव है:- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र० 12:50</td><td>12:53</td></tr></table> मुख्य बिन्दु पर पाँच मिनट का अन्तराल नहीं है और आवेदनकर्ता कुछ ही दिन पहले परमिट प्राप्त किया है। सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-3045 आलमनगर से खगड़िया है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	खगड़िया प्र० 12:50	12:53		
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता									
खगड़िया प्र० 12:50	12:53									
54	BR06PA-8894 (07.12.2011) श्री चंचल कुमार, पिता-श्री सुधीर सिंह, पता-हसनपुर, महिसोना, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-06.12.26 फिटनेश-04.01.27 बीमा-07.10.26 प्रदूषण-17.10.26	अप्राप्त						
55	BR02PB-6064 (05.04.2021) श्री रुपेश कुमार, पिता-श्री कृष्णा प्रसाद, पता-शीतलपुर, फतेहपुर, जिला-गया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-23.12.26 फिटनेश-30.06.28 बीमा-28.09.27 प्रदूषण-23.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं०-BR01PR-8229 का कहना है कि निर्गत परमिट के समय-सारणी के बिच निम्न टकराव एवं ओवरटेकिंग है:- आवेदनकर्ता बेगूसराय से 11:30 में प्रस्थान कर हाथीदह 11:56 में आगमन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता हाथीदह से बेगूसराय 28 कि०मी० की दूरी 26 मिनट में तय कर रहे हैं। ज़िरोमाईल से हाथीदह के बीच में दो रेलवे क्रॉसिंग है, रिफाईनरी फ़ैक्ट्री है जहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। आवेदनकर्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता के एक वाहन पर टैक्स बकाया है, इसका साक्ष्य बैटक में देंगे। आवेदनकर्ता वाहन लगातार 12 घंटा तक परिचालन कर रही है। 05 घंटा वाहन का परिचालन करने के बाद नियमानुसार वाहन को विश्राम देना है। आवेदनकर्ता सरमेरा से 16:42 में प्रस्थान कर बरबीघा 17:00 बजे आगमन करते हैं। जबकि आपत्तिकर्ता सरमेरा से 16:45 में प्रस्थान कर 16:59 में बरबीघा आगमन करते हैं। आवेदनकर्ता सरमेरा से आपत्तिकर्ता से पहले प्रस्थान कर बाद में बरबीघा आगमन करते हैं। यह पूर्णतः ओवरटेकिंग का मामला है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-45 बेगूसराय से बरबीघा है।						
56	BR01PF-4872 (04.07.2015) श्री नीरज कुमार सिंह पिता- श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-05.05.27 फिटनेश-21.06.27 बीमा-16.08.27 प्रदूषण-17.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री विनीत कुमार, वाहन सं०-BR09PA-8166 का कहना है कि वाहन सं०-BR01PF-4872 के मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा पर आवेदित है, जो क्रम सं० 55 पर है, इनके आवेदित समय-सारणी पर आपत्ति है, आपत्तिकर्ता वाहन सं०-BR09PA-8166 के आवेदित समय-सारणी से टकराव है आवेदन के क्रम में आपत्तिकर्ता वाहन आवेदन क्रम सं० 15 पर आवेदित है समय-सारणी में टकराव है, जो निम्न है:- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र० 05:39</td><td>05:39</td></tr><tr><td>मंझौल प्र० 06:25</td><td>06:25</td></tr></table> वर्णित दोनों गाड़ी बेगूसराय, मंझौल, बखरी तक एक साथ समान मार्ग पर चलेगी एवं गाड़ी का समान समय-सारणी रहने के कारण यात्री चढ़ाने को लेकर मारपीट एवं विवाद का प्रबल संभावना है, जिससे शांति भंग होगी एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र० 05:39	05:39	मंझौल प्र० 06:25	06:25
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता									
बेगूसराय प्र० 05:39	05:39									
मंझौल प्र० 06:25	06:25									

				अतः आपसे निवेदन है कि वाहन संख्या-BR09PA-8166 आवेदन के क्रम में वरीय है, वरीयता देते हुए आवेदन को स्वीकृत करने की निर्णय दी जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या-3154 डाउन बेगूसराय से शकरपुरा एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-3181 बेगूसराय से बखरी है।											
57	BR01PT-3099 (29.04.2026) श्री आशीष आनंद, पिता-श्री अरुण कुमार, पता-साउथ चित्रगुप्त नगर, के0 बाग, जिला-पटना।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-09.10.26 फिटनेश-28.04.28 बीमा-13.03.27 प्रदूषण-28.04.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती मोनी कुमारी, वाहन सं0-BR01PT-2932 का कहना है कि निर्गत परमिट के समय-सारणी के बिच निम्न टकराव है:- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>मोकामा प्र0</td><td>08:26</td><td>08:25</td></tr></table> आपत्तिकर्ता का आवेदन क्रमांक सं0 31 है तथा आवेदनकर्ता का क्रमांक सं0 56 है। आवेदनकर्ता का आवेदन बाद में किया गया है। समय-सारणी में एक मिनट का अन्तराल रहने के कारण आवेदनकर्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदनकर्ता के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ द्वितीय श्री आपत्तिकर्ता मेहश पासवान, वाहन सं0-BR01PT-2935 का कहना है कि निर्गत परमिट के समय-सारणी के बीच टकराव एवं ओवरटेकिंग है जो निम्न है:- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र0</td><td>06:10</td><td>06:13</td></tr></table> मुख्य बिन्दु बेगूसराय में दोनों वाहन में 03 मिनट का अन्तराल है। सुबह 02:55 से वाहन का परिचालन प्रारंभ कर 03:32 तक वाहन का परिचालन लगातार कर रहे हैं। पाँच घंटा वाहन का परिचालन करने के बाद वाहन को आधे घंटा का विश्राम देना है। सरमेरा से आवेदनकर्ता 07:30 में प्रस्थान कर बरबीघा 07:42 में आगमन कर रहे हैं। सरमेरा से बरबीघा की दूरी 12 कि0मी0 है। सरमेरा से बरबीघा के बीच में टैक्स गेट, रेलवे क्रासिंग तथा थाना चौक ब्लॉक है। रास्ता संकीर्ण तथा घनी अबादी क्षेत्र है। इस दूरी को 12 मिनट में तय करना संभव नहीं है। आवेदनकर्ता गतिशीलता का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता सरमेरा से 04:53 में प्रस्थान कर मोकामा 05:15 में आगमन करते हैं, सरमेरा से मोकामा की दूरी 22 कि0मी0 है जिसे आवेदनकर्ता 22 मिनट में तय कर रहे हैं। सरमेरा से मोकामा के बीच घासवारी में बाढ़ के कारण जानवर और बाढ़ पीड़ित सड़क पर है। मोकामा में रेलवे क्रासिंग है। इस दूरी को 22 मिनट में तय करना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदनकर्ता के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-45 बेगूसराय से बरबीघा है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	मोकामा प्र0	08:26	08:25	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र0	06:10	06:13	
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता														
मोकामा प्र0	08:26	08:25													
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता														
बेगूसराय प्र0	06:10	06:13													
58	BR50P-1665 (01.07.2014) श्री नीरज कुमार सिंह पिता- श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3171 बरौनी जं0 से बखरी। भाया-बेगूसराय, मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-31.12.26 फिटनेश-22.01.27 बीमा-17.07.27 प्रदूषण-21.08.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती बिनीता कुमारी, वाहन सं0-BR09PA-8530 का कहना है कि वाहन सं0-BR50P-1665 के मार्ग बरौनी जक्शन से बखरी पर आवेदित है, जो क्रम सं0 57 पर है, इनके आवेदित समय-सारणी पर आपत्ति है, आपत्तिकर्ता वाहन सं0-BR09PA-8530 के प्राप्त परमिट है। जिसमें मंझौल प्रस्थान 16:59 निर्गत है। एवं आवेदनकर्ता के द्वारा भी जानबुझ कर तंग करने की नियत से मंझौल प्रस्थान 16:59 समान समय-सारणी पर आवेदन किया है, जबकि बेगूसराय, मंझौल एवं बखरी तक समान मार्ग है। आपत्तिकर्ता वाहन संख्या-BR09PA-8530 के बेगूसराय प्रस्थान संशोधित समय-सारणी संलग्न किया गया है, जो प्रकाशन के क्रम-72 पर है। <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र0</td><td>16:09</td><td>16:06</td></tr><tr><td>मंझौल आ0</td><td>16:54</td><td>16:55</td></tr><tr><td>मंझौल प्र0</td><td>16:59</td><td>16:59</td></tr></table> आपत्तिकर्ता के वाहन संख्या- BR09PA-8530 के निर्गत परमिट से आवेदनकर्ता का वाहन पीछे खुलती है, एवं मंझौल 16:59/16:59 समान समय-सारणी हो जाता है। जबकि आपत्तिकर्ता वाहन को मंझौल 16:59 पूर्व से प्राप्त है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपत्तिकर्ता वाहन संख्या-BR09PA-	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र0	16:09	16:06	मंझौल आ0	16:54	16:55	मंझौल प्र0	16:59	16:59
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता														
बेगूसराय प्र0	16:09	16:06													
मंझौल आ0	16:54	16:55													
मंझौल प्र0	16:59	16:59													

				8530 संशोधित समय-सारणी को स्वीकृत करते हुए आवेदनकर्ता वाहन को संशोधित समय-सारणी की मांग किया जाए एवं उचित निर्णय लिया जाए। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री बिनीत कुमार, वाहन सं०—BR09PA-8166 का कहना है कि वाहन सं०—BR50P-1665 के मार्ग बरौनी जक्शन से बखरी पर आवेदित है जो क्रम सं० 57 पर है, इनके आवेदित समय-सारणी पर आपत्ति है, आपत्तिकर्ता वाहन सं०—BR09PA-8166 के आवेदित समय-सारणी से टकराव है आवेदन के क्रम में आपत्तिकर्ता वाहन आवेदन क्रम सं० 15 पर आवेदित है समय-सारणी में टकराव है जो निम्न है, जो बेगूसराय से आगे खुलकर पीछे हो जाते हैं। जो ओवरटेकिंग का मामला है:- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>10:38 (आगे प्रस्थान)</td><td>10:40</td></tr><tr><td>मंझौल प्र०</td><td>11:34 (पीछे प्रस्थान)</td><td>11:24</td></tr></table> जबकि बेगूसराय से बखरी तक समान मार्ग है, एतएव आगे खुलने वाली गाड़ी को आगे रखा जाए, बेगूसराय से आगे खुलने के बाद मंझौल में पीछे हो जाते हैं, जो प्राधिकार के नियम का उल्लंघन है, जो आगे पीछे होने के कारण यात्री को लेकर विवाद की संभावना है जिससे शांति भंग होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं०—BR09PA-8166 के आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए एवं आपत्तिकर्ता के वाहन को संशोधित समय-सारणी मांगा जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या-3171 बरौनी जक्शन से बखरी है, प्रथम का मार्ग संख्या-3144 बेगूसराय से मंझौल है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-3181 बेगूसराय से बखरी है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	10:38 (आगे प्रस्थान)	10:40	मंझौल प्र०	11:34 (पीछे प्रस्थान)	11:24																		
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																													
बेगूसराय प्र०	10:38 (आगे प्रस्थान)	10:40																													
मंझौल प्र०	11:34 (पीछे प्रस्थान)	11:24																													
59	BR11PC-9455 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री कार्या नंद कुमार, पता-गोकुल कृष्णा आश्रम, के० हाट, जिला-पूर्णियाँ।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-191, लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज। भाया-लखीसराय लालू बस पड़ाव, सिकन्दरा बस स्टैण्ड, रामगढ़ चौक, हलसी एवं सिकन्दरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-05.11.26 फिटनेस-01.02.27 बीमा-19.04.27 प्रदूषण-16.10.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं०—BR53A-8011 का कहना है कि मेरे उक्त वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है। मेरे उक्त वाहन के दो मिनट आगे-आगे वाहन स्वामी राहुल कुमार वाहन संख्या—BR11PC-9455 का लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज मार्ग पर आवेदन किये हैं जबकि वाहन स्वामी द्वारा प्राधिकार की बैठक 16.09.2026 को बैठक में उक्त वाहन का आवेदन लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर था जिसमें आपत्ति रहने के कारण वाहन स्वामी द्वारा आवेदन वापस लिया गया था और वहीं चलान लगाकर आवेदन किए है जबकि प्रत्येक नये आवेदन में आवेदन के साथ मोटर वाहन नियमावली के नियम 74 के अनुसार परमिट शुल्क देना अनिवार्य है। पूर्व परमिट हेतु पूर्व से समर्पित आवेदन संलग्न परमिट शुल्क का सामंजन करने का प्रावधान नहीं है। बिहार परिवहन विभाग के परिपत्र के अनुसार परिपत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि परमिट हेतु आवेदन के साथ परमिट शुल्क अनिवार्य होना चाहिए। अन्यथा आवेदन अमान्य होगा एवं मेरे वाहन के समय-सारणी से सिकन्दरा और लखीसराय मेरा मुख्य बिन्दु है जिसमें वाहन स्वामी द्वारा दो मिनट का अंतराल दिया गया है जो समय-सारणी निम्न प्रकार है:- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>05:28</td><td>05:30</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>07:18</td><td>07:20</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>09:28</td><td>09:30</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>11:53</td><td>11:55</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>14:13</td><td>14:15</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>16:21</td><td>16:23</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>18:13</td><td>18:15</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>19:28</td><td>19:30</td></tr></table> और सभी मध्य बिन्दु पर भी दो मिनट का अंतराल है और यह वाहन स्वामी का घर पूर्णिया जिला है और तंग करने के नियत से हमारे लोकल बस के आगे लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	लखीसराय प्र०	05:28	05:30	सिकन्दरा प्र०	07:18	07:20	लखीसराय प्र०	09:28	09:30	सिकन्दरा प्र०	11:53	11:55	लखीसराय प्र०	14:13	14:15	सिकन्दरा प्र०	16:21	16:23	लखीसराय प्र०	18:13	18:15	सिकन्दरा प्र०	19:28	19:30
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																													
लखीसराय प्र०	05:28	05:30																													
सिकन्दरा प्र०	07:18	07:20																													
लखीसराय प्र०	09:28	09:30																													
सिकन्दरा प्र०	11:53	11:55																													
लखीसराय प्र०	14:13	14:15																													
सिकन्दरा प्र०	16:21	16:23																													
लखीसराय प्र०	18:13	18:15																													
सिकन्दरा प्र०	19:28	19:30																													

				रहूंगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या-191 लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या-3229 लखीसराय से सिकन्दरा है।																		
60	BR06PA-9840 (10.02.2012) श्री पिकेश कुमार सिंह, पिता-श्री तृप्ति ना0 सिंह, पता-नयागोंव, जोराबरपुर, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-09.11.26 फिटनेश-11.12.26 बीमा-15-02.27 प्रदूषण-27.11.26	अप्राप्त																		
61	BR11E-6688 (24.03.2008) श्री राम शंकर कुमार, पिता-श्री रमाधार सिंह, पता-धरसेनी, कुटौत, बरबीघा,, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-22.12.26 फिटनेश-08.12.26 बीमा-20.11.26 प्रदूषण-28.02.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं0-BR53P-5165 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है और मेरे वाहन के दो-चार मिनट आगे वाहन स्वामी श्री रामशंकर कुमार, वाहन सं0-BR11E-6688 का समय-सारणी के लिए आवेदन किए हैं। जबकि यह वाहन केन्द्रीय विद्यालय लखीसराय में चल रहा है और तंग करने की नियत से मेरे वाहन के आगे आवेदन किए हैं। जिसका जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराया जाय। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा अमारी रहूंगा। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है।																		
62	BR01PT-2935 (23.04.2026) श्री महेश पासवान, पिता-श्री विशेश्वर पासवान, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-25.12.26 फिटनेश-22.04.28 बीमा-19.04.27 प्रदूषण-19.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री अरमान कुमार, वाहन सं0-BR21PA-2478 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><td></td><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td></td><td>तीसरी पाली</td><td></td></tr><tr><td>सरमेरा प्र0</td><td>12:20</td><td>12:21</td></tr><tr><td></td><td>चौथी पाली</td><td></td></tr><tr><td>सरमेरा प्र0</td><td>16:35</td><td>16:35</td></tr><tr><td>मोकामा प्र0</td><td>17:05</td><td>17:04</td></tr></table> जो कि प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है। 05 मिनट आगे और 05 मिनट पीछे छोड़ना है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि आवेदन को खारिज किया जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता		तीसरी पाली		सरमेरा प्र0	12:20	12:21		चौथी पाली		सरमेरा प्र0	16:35	16:35	मोकामा प्र0	17:05	17:04
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																				
	तीसरी पाली																					
सरमेरा प्र0	12:20	12:21																				
	चौथी पाली																					
सरमेरा प्र0	16:35	16:35																				
मोकामा प्र0	17:05	17:04																				
63	BR11PA-3011 (01.08.2016) श्री अनिश कुमार सिंह, पिता-श्री तृप्ति ना0 सिंह, पता-सतरखुट्टी नयागोंव, जोराबरपुर, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.10.26 फिटनेश-28.09.27 बीमा-19.09.27 प्रदूषण-16.12.26	अप्राप्त																		

64	BR09M-3060 (25.02.2013) श्री पिकेश कुमार सिंह, पिता-श्री तृप्ति ना0 सिंह, पता-नयागॉव, सतरखुट्टी, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-24.11.26 फिटनेश-14.07.27 बीमा-20.03.27 प्रदूषण-04.12.26	अप्राप्त																																	
65	BR08P-5588 (10.03.2025) श्रीमती मीनू देवी, पति-पिकेश कुमार सिंह, पता-सतरखुट्टी नयागॉव, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-25.11.26 फिटनेश-09.03.27 बीमा-05.03.27 प्रदूषण-19.03.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं0-BR09PA-9169 का कहना है कि वाहन सं0-BR08P-5588 के मार्ग कबेला से बेगूसराय पर आवेदित है, जो क्रमांक-64 पर है, इनके आवेदित समय-सारणी पर आपत्ति है, जो कबेला से आगे खुलकर मड़ैया से सम्पूर्ण मार्ग बेगूसरा तक पीछे हो जाते हैं, आपत्तिकर्ता वाहन सं0-BR09PA-9169 मार्ग कबेला से बेगूसराय जो आवेदन क्रमांक-40 पर है, जो वरीय है, समय-सारणी निम्न है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>कबेला प्र0</td><td>06:00</td><td>06:15 (आगे)</td></tr><tr><td>नयागॉव प्र0</td><td>06:15</td><td>06:30 (आगे)</td></tr><tr><td>परबत्ता प्र0</td><td>06:50</td><td>06:55 (आगे)</td></tr><tr><td>मड़ैया प्र0</td><td>07:20</td><td>07:15 (पीछे)</td></tr><tr><td>जमालपुर प्र0</td><td>07:50</td><td>07:35 (आगे)</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र0</td><td>08:10</td><td>08:00 (आगे)</td></tr><tr><td>मानसी प्र0</td><td>08:30</td><td>08:20 (आगे)</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र0</td><td>08:47</td><td>08:40 (आगे)</td></tr><tr><td>बलिया प्र0</td><td>09:28</td><td>09:15 (आगे)</td></tr><tr><td>बेगूसराय आ0</td><td>10:05</td><td>09:45 (आगे)</td></tr></table> आपत्तिकर्ता वाहन सं0-BR09PA-9169 से आवेदनकर्ता वाहन सं0-BR08P-5588 कबेला प्रस्थान 15 मिनट पूर्व करते हैं एवं मड़ैया में पीछे हो जाते हैं, एवं सम्पूर्ण मार्ग पीछे-पीछे चलते हैं, जो ओवरटेक का मामला है। आवेदनकर्ता वाहन को सम्पूर्ण मार्ग 15 मिनट पहले का समय-सारणी दिया जाय। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाहन सं0-BR09PA-9169 के आवेदन को स्वीकृत करते हुए आवेदनकर्ता के वाहन से संशोधित समय-सारणी की मांग की जाए। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	कबेला प्र0	06:00	06:15 (आगे)	नयागॉव प्र0	06:15	06:30 (आगे)	परबत्ता प्र0	06:50	06:55 (आगे)	मड़ैया प्र0	07:20	07:15 (पीछे)	जमालपुर प्र0	07:50	07:35 (आगे)	महेशखूंट प्र0	08:10	08:00 (आगे)	मानसी प्र0	08:30	08:20 (आगे)	खगड़िया प्र0	08:47	08:40 (आगे)	बलिया प्र0	09:28	09:15 (आगे)	बेगूसराय आ0	10:05	09:45 (आगे)
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																			
कबेला प्र0	06:00	06:15 (आगे)																																			
नयागॉव प्र0	06:15	06:30 (आगे)																																			
परबत्ता प्र0	06:50	06:55 (आगे)																																			
मड़ैया प्र0	07:20	07:15 (पीछे)																																			
जमालपुर प्र0	07:50	07:35 (आगे)																																			
महेशखूंट प्र0	08:10	08:00 (आगे)																																			
मानसी प्र0	08:30	08:20 (आगे)																																			
खगड़िया प्र0	08:47	08:40 (आगे)																																			
बलिया प्र0	09:28	09:15 (आगे)																																			
बेगूसराय आ0	10:05	09:45 (आगे)																																			
66	BR27P-7130 (10.03.2018) श्री अरमान कुमार, पिता-श्री चुन्नु कुमार, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-07.12.26 फिटनेश-22.08.27 बीमा-17.08.27 प्रदूषण-18.08.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं0-BR21P-2524 का कहना है कि आवेदनकर्ता का वाहन मोकामा से 10:20 में प्रस्थान कर 10:50 में सरमेरा आगमन करती है। आपत्तिकर्ता मोकामा से 10:26 में प्रस्थान कर सरमेरा 10:51 में आगमन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता सरमेरा से 10:52 में प्रस्थान कर बरबीघा 11:15 में आगमन करते हैं, जबकि आपत्तिकर्ता सरमेरा से 10:55 में प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 11:10 में कर रहे हैं। आवेदनकर्ता सरमेरा से आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के पहले प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 11:15 बजे बाद में करते हैं जो ओवरटेकिंग का मामला है। बेगूसराय से 06:05 पूर्वाह्न में प्रस्थान कर 05:40 तक अपराह्न लगातार वाहन का परिचालन करते हैं। इस तरह वाहन स्वामी 11 घंटा 40 मिनट लगातार वाहन का परिचालन कर रहे हैं। पाँच घंटा वाहन का परिचालन के बाद वाहन को आधा घंटा विश्राम देना है। वाहन परिचालन योग्य नहीं है। वाहन में इंजन गियर नहीं है। साक्ष्य के रूप में मैं बैठक में फोटो समर्पित करूँगा। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0-BR01PT-2935 का कहना है कि आवेदनकर्ता सरमेरा से 17:17 में प्रस्थान कर बरबीघा आगमन 17:40 में कर रहे हैं। आपत्तिकर्ता 17:19 में सरमेरा से प्रस्थान कर बरबीघा 17:32 में आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता का प्रस्तावित समय-सारणी में ओवरटेकिंग है। आवेदनकर्ता का वाहन परिचालन योग्य नहीं है। वाहन का इंजन वाहन के साथ संलग्न नहीं है। वाहन का परिचालन दो साल से मार्ग में नहीं हो रहा है। वाहन के V.L.T.D. की जाँच करने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।																																	

			➤ तृतीय आपत्तिकर्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं०-BR21P-4704 का कहना है कि आवेदनकर्ता मोकामा से 07:00 बजे प्रस्थान कर 07:45 में सरमेरा आगमन कर रहे हैं। आपत्तिकर्ता 07:07 बजे मोकामा से प्रस्थान कर सरमेरा 07:32 में आगमन कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता मोकामा से पहले प्रस्थान कर आपत्तिकर्ता के वाहन के समय-सारणी के पीछे सरमेरा में आगमन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता का प्रस्तावित समय-सारणी में ओवरटेकिंग है। ➤ चतुर्थ आपत्तिकर्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं०-BR21P-2524 द्वारा कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>10:20</td><td>10:26</td></tr><tr><td>सरमेरा आ०</td><td>10:50</td><td>10:51</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>10:52</td><td>10:55</td></tr><tr><td>बरबीघा आ०</td><td>11:15</td><td>11:10</td></tr></table> आवेदनकर्ता मोकामा से आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के 06 मिनट पहले प्रस्थान कर सरमेरा 01 मिनट पहले आगमन करते हैं। पुनः सरमेरा से आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से 03 मिनट पहले प्रस्थान कर बरबीघा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से 05 मिनट बाद में आगमन करते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता का समय-सारणी ओवरटेकिंग का है। बेगूसराय से आवेदनकर्ता 06:05 पूर्वाह्न में वाहन का परिचालन कर प्रारंभ कर 05:40 अपराह्न तक लगातार 11 घंटा 40 मिनट वाहन का परिचालन कर रहे हैं। पाँच घंटा वाहन का परिचालन करने के बाद वाहन को आधा घंटा विश्राम देना है। आवेदनकर्ता का वाहन परिचालन योग्य नहीं है। वाहन में इंजन गियर नहीं है। मैं साक्ष्य के रूप में फोटो समर्पित करूँगा। आवेदनकर्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	मोकामा प्र०	10:20	10:26	सरमेरा आ०	10:50	10:51	सरमेरा प्र०	10:52	10:55	बरबीघा आ०	11:15	11:10
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																
मोकामा प्र०	10:20	10:26																
सरमेरा आ०	10:50	10:51																
सरमेरा प्र०	10:52	10:55																
बरबीघा आ०	11:15	11:10																
67	BR08P-6172 (19.09.2026) श्री आशीष कुमार, पिता-श्री रामचन्द्र प्रसाद यावद, पता-कैमखा, बासुदेवपुर,, जिला-मुंगेर।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया-महेशखूंट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-23.11.26 फिटनेश-18.09.28 बीमा-23.07.27 प्रदूषण-18.09.27 ➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं०-BR34P-5452 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी पर आपत्ति पर कहना है कि :- 1. मध्यवर्ती स्थानों पर नियमाविरुद्ध ठहराव: स्थापित नियमों के अनुसार मध्यवर्ती स्टेशनों पर गाड़ी का ठहराव 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु, आवेदक ने महेशखूंट पर नियमों के विरुद्ध 10-10 मिनट का अवैध ठहराव लिया है: आगमन: 07:50 — प्रस्थान: 08:00 (ठहराव: 10 मिनट) आगमन: 11:30 — प्रस्थान: 11:40 (ठहराव: 10 मिनट) आगमन: 15:25 — प्रस्थान: 15:35 (ठहराव: 10 मिनट) आगमन: 18:55 — प्रस्थान: 19:05 (ठहराव: 10 मिनट) साथ ही, मानसी स्टेशन का समय चक्र भी मार्ग संख्या 3045 के मानदंडों के विपरीत और त्रुटिपूर्ण है। 2. मुख्य बिंदुओं पर समय सारणी का हुबहु सीधा टकराव (Direct Departure Clash): आपत्ति दर्ज करने का सबसे गंभीर और अकाट्य आधार यह है कि मार्ग के मुख्य मध्यवर्ती स्टेशनों (महेशखूंट एवं इसराहा) से मेरा पूर्व से स्वीकृत प्रस्थान समय और आवेदक का प्रस्तावित प्रस्थान समय हुबहु एक ही है जिसका आमने सामने स्पष्ट विवरण निम्न प्रकार से दर्शित है: <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>महेशखूंट प्र०</td><td>15:35</td><td>15:35</td></tr><tr><td>उसराहा प्र०</td><td>16:05</td><td>16:05</td></tr></table> एक ही मार्ग और मुख्य बिंदुओं पर एक ही समय पर दो गाड़ियों के परिचालन की अनुमति देना परिवहन नीतियों के सर्वथा विरुद्ध है। इससे मार्ग पर अवैध प्रतिस्पर्धा, आपसी विवाद और विधिव्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तथा पूर्व से संचालित वैध वाहनों का आर्थिक नुकसान होगा। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि वाहन संख्या-BR08P-6172 का यह प्रस्तावित आवेदन, जो कि आधिकारिक प्रकाशन और स्वीकृत मार्ग संख्या के नियमों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है तथा परिवहन नियमों के सर्वथा विरुद्ध है, ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं समय का सीधा टकराव पैदा करने वाले आवेदन को जनहित, यात्री सुरक्षा और नियमित में तत्काल प्रभाव से निरस्त (Reject) करने की कृपा की जाए। साथ ही, प्राधिकार की आगामी बैठक या सुनवाई में मुझे भी उपस्थित होकर अपना पक्ष (Hearing) रखने का अवसर दिया जाए।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	महेशखूंट प्र०	15:35	15:35	उसराहा प्र०	16:05	16:05						
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																
महेशखूंट प्र०	15:35	15:35																
उसराहा प्र०	16:05	16:05																

			इस न्यायोचित कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री कृष्ण मोहन, वाहन सं०—BR34P-6487 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी पर आपत्ति पर कहना है कि :- मैं कृष्ण मोहन, परमिट संख्या BR2025-SC-2123A के तहत मार्ग संख्या 3045 पर संचालित वाहन संख्या-BR34P-6487 का स्वामी हूँ। दिनांक 01/10/2026 को प्रकाशित वाहन संख्या BR08P6172 (आवेदक: आशीष कुमार) के नए आवेदन के विरुद्ध मेरी मुख्य वैधानिक आपत्तियाँ निम्नवत हैं: स्वीकृत रूट/मार्ग के विपरीत प्रकाशन: आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आधिकारिक रूप से स्वीकृत मार्ग संख्या 3045 के रूट चार्ट और मानकों के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। इस प्राधिकार द्वारा किया गया यह वर्तमान प्रकाशन स्वीकृत रूट के सर्वथा विपरीत है, जो कि स्थापित परिवहन नियमों एवं प्राधिकार की नीतियों के पूर्णतः विरुद्ध है। मध्यवर्ती स्थानों पर नियमाविरुद्ध अत्यधिक ठहराव: स्थापित परिवहन नियमों के अनुसार मुख्य Terminals को छोड़कर मार्ग के मध्यवर्ती स्टेशनों पर गाड़ी का ठहराव 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु आवेदक ने महेशखूंट पर स्थापित नियमों के विरुद्ध 10-10 मिनट का अवैध ठहराव लिया है, जो स्वीकृत मार्ग संख्या 3045 के मूल रूट चार्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। इसका स्पष्ट आगमन एवं प्रस्थान विवरण (साक्ष्य) निम्नवत है: महेशखूंट — आगमन: 07:50 प्रस्थान: 08:00 (ठहराव: 10 मिनट) महेशखूंट — आगमन: 11:30 प्रस्थान: 11:40 (ठहराव: 10 मिनट) महेशखूंट — आगमन: 15:25 प्रस्थान: 15:35 (ठहराव: 10 मिनट) महेशखूंट — आगमन: 18:55 प्रस्थान: 19:05 (ठहराव: 10 मिनट) आलमनगर से प्रस्थान समय का 100% हूबहू सीधा टकराव: आपत्ति का सबसे मुख्य और गंभीर आधार यह है कि आलमनगर स्टेशन से अंतिम फेरे (लास्ट ट्रिप) में दोनों गाड़ियों का प्रस्थान (Departure) समय बिल्कुल एक ही समय पर टकरा रहा है, जिसका आमने-सामने विवरण निम्न प्रकार है: आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आलमनगर प्र० 17:30 17:30 एक ही मार्ग और एक ही टर्मिनल से ठीक एक ही समय (शाम 17:30 बजे) पर दो गाड़ियों को प्रस्थान देने से मार्ग पर अवैध व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, रैस लगाने की होड़ और विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी जिससे पूर्व से संचालित वैध वाहनों का भारी आर्थिक नुकसान होगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाहन संख्या BR08P6172 का यह प्रस्तावित आवेदन, जो कि आधिकारिक प्रकाशन और स्वीकृत मार्ग संख्या के नियमों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं समय का हूबहू सीधा टकराव पैदा करने वाले आवेदन को जनहित और नियमहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त (Reject) करने की कृपा की जाए, तथा आगामी बैठक में मुझे भी अपना पक्ष (Hearing) रखने का अवसर दिया जाए। ➤ तृतीय आपत्तिकर्ता श्री शैलेश कुमार, वाहन सं०—BR19P-8818 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया प्र० 14:45 14:45 आपत्तिकर्ता का कहना है कि मुख्य बिन्दु पर समय—सारणी Same है एवं आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदित मार्ग सं०—3045 में मानसी दर्शाया गया है जो कि इस मार्ग में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मार्ग के अनुरूप आवेदन नहीं है। ➤ चतुर्थ आपत्तिकर्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी, वाहन सं०—BR34P-9218 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया प्र० 07:10 07:09 आपत्तिकर्ता का कहना है कि मुख्य बिन्दु पर प्राधिकार के निर्णय के अनुसार 05 मिनट आगे तथा 05 मिनट पीछे होना चाहिए एवं मार्ग सं०—3045 के अनुरूप आवेदन प्रकाशन नहीं है। आवेदन में मानसी का ठहराव दर्शाने से स्पष्ट होता है। ➤ पंचम आपत्तिकर्ता श्री विवेका यादव, वाहन सं०—BR19P-7549 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय—सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता
--	--	--	--

				आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान आलमनगर 09:25 10:05 09:54 10:08 ऑनलाईन आवेदन एवं प्रकाशन में भिन्नता है। 3045 रूट नं० में मानसी स्टॉपेज नहीं है। आवेदनकर्ता का मार्ग 3045 डाउन खगड़िया से आलमनगर है तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम आपत्तिकर्ता का मार्ग 3045 आलमनगर से खगड़िया है।
--	--	--	--	--

कार्यावली संख्या – 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
68	BR19P-7536 (11.05.2026) श्रीमती स्वीटी कुमारी, पति—श्री शशि प्रसाद सिंह, पता—C/O- चन्द्रकांत सिंह, शिवपुरी, वार्ड नं०-14, सहरसा। जिला—सहरसा।	प्रकाशन—01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—4536 गम्हरिया से खगड़िया। भाया—बैजनाथपुर, सहरसा, सौरबाजार, सोनवर्षा, मालीचौक, पिरनगरा, उसराहा, महेशखूंट एवं मानसी। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स—29.12.26 फिटनेश—10.05.28 बीमा—04.05.27 प्रदूषण—10.05.27	अप्राप्त
69	BR43PA-1711 (08.03.2025) श्री यदवेन्दु कुमार, पिता—स्व० बिपिन कुमार विमल, पता—विद्यापुरी मोहल्ला, वार्ड नं०-18, बाई पास रोड, जिला—मधेपुरा।	प्रकाशन—01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—4506 सिंहेश्वर से अगुवानी। भाया—मधेपुरा, बैजनाथपुर, सहरसा, सौर बाजार, सोनवर्षा, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया एवं परबत्ता। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स—27.11.26 फिटनेश—07.03.27 बीमा—10.08.27 प्रदूषण—13.03.27	अप्राप्त
70	BR09PA-6688 (03.09.2021) श्रीमती सुनीता देवी पति—श्री सुधीर कुमार पता—पहसारा, जिला—बेगूसराय।	प्रकाशन—01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—344 डाउन, पटना से खगड़िया। भाया—बख्तियारपुर, मोकामा एवं बेगूसराय। ट्रिप—01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स—27.11.26 फिटनेश—16.09.27 बीमा—05.09.27 प्रदूषण—31.08.27	अप्राप्त

कार्यावली संख्या – 04

प्राप्त परमिट के समय—सारणी में संशोधन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)
71	BR09PA-8529 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता—श्री राम नंदन सिंह, पता—पहसारा, जिला—बेगूसराय।	प्रकाशन—01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3015, अलौली से बेगूसराय, भाया—हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप—03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स—18.12.26 फिटनेश—18.09.27 बीमा—05.02.27 प्रदूषण—16.09.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं०—BR06PC-9933 का कहना है कि प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर वर्तमान मार्ग पर वाहन का परिचालन कर मार्गीय यात्रियों को सुविधा के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। विषयांकित मामले में आवेदक श्री बिनीत कुमार जो “न्याया रथ” के बैनर के तहत परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन करते हैं जिनको 22.09.2026 को 05 साल के लिए परमिट निर्गत किया गया है। मात्र दूसरे वाहन स्वामी के परिचालन को समाप्त करवाने हेतु पुनः नियम विरुद्ध स्थायी परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट

			की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है। नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। क्योंकि प्राधिकार को अपने निर्णय की रिव्यू करने की शक्ति नहीं है/मोटर वाहन अधिनियम 1939 संशोधित अधिनियम 1956 या वर्तमान पुनः संशोधित अधिनियम 1988 में प्राधिकार को अपने निर्णय को रिव्यू करने की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जो वर्तमान में भी लागू है और उक्त निर्णय के अलावे अन्य कोई निर्णय इस बिन्दु पर पारित नहीं है, जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री विनीत कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय-सारणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ्रीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ्रीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में पूर्व से प्राप्त परमिट के समय-सारणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानून विपरीत प्रयास आवेदक के द्वारा किया जाता रहा है और अभी मात्र 22.09.2026 को परमिट निर्गत कराकर पुनः संशोधन का प्रस्ताव दिया जाना आवेदक के गलत मंशा को उजागर करती है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। म्होदय बेगूसराय से बखरी, बेगूसराय से अलौली एवं बेगूसराय से सकरपुरा मार्ग में बेगूसराय से मंझौल मार्ग का 80% समान है और स्थानीय एवं ग्रामीण मार्ग पर वाहन का परिचालन 10 मिनट अन्तराल पर भी अलाभकारी होता है परन्तु कतिपय वाहन स्वामी जो काफी ज्यादा वाहन के स्वामी है मार्ग में छोटे वहां स्वामी के परिचालन को बिलकुल समाप्त करवाने हेतु कई परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन अपनी सुविधानुसार करते हैं ताकि उनको अपने दो वाहनों के बीच ज्यादा समय अन्तराल प्राप्त हो। उक्त मार्ग में इस प्राधिकार के निर्णयानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी? बेगूसराय से बेगूसराय से मंझौल के बीच की दूरी, मार्ग की स्थिति एवं तय करने में लगने वाले समय के संबंध में जाँच करायी गयी थी जिसका जाँच प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-4164, दि0-27.11.2024 को प्राधिकार को प्राप्त कराया गया है जिसमें बेगूसराय से मंझौल के बीच की दूरी तय करने में कम से कम 35 मिनट समय लगने की बात बतायी गयी है। वर्तमान मामले में आवेदक के द्वारा पूर्व में 41 मिनट का समय प्राप्त किया गया है और अब उक्त दूरी को मात्र 33 मिनट में
--	--	--	---

				तय करने का प्रस्ताव दिये हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा अन्य वाहन सं०-BR09PA-8530 जिसपर 22.09.2026 को परमिट निर्गत किया गया है। उक्त दूरी पूर्व में 45 मिनट का समय प्राप्त किया गया है और अब उक्त दूरी को पुनः संशोधन कर 49 मिनट का प्रस्ताव दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन हे कि न्याय हित में प्रस्तावित समय-सारणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3015 अलौली से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी है।
72	BR09PA-8530 (19.09.2023) श्रीमती बिनीता कुमारी, पति-श्री रंजीत कुमार, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.12.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-27.11.26 प्रदूषण-16.09.27	अप्राप्त
73	BR08P-5758 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त
74	BR01PR-8229 (14.02.2025) श्री महेश पासवान, पिता-श्री विशेश्वर पासवान, पता-इसुआ, ससौर, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-13.02.27 बीमा-03.02.27 प्रदूषण-14.02.27	अप्राप्त
75	BR08P-5839 (18.11.2025) श्री पिकेश कुमार सिंह, पिता-तृपि नारायण सिंह, पता-नयागाँव, जोराबारपुर, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-01.10.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-16.11.26 फिटनेश-17.11.27 बीमा-16.11.26 प्रदूषण-17.11.26	अप्राप्त

कार्यावली संख्या - 05

स्कूल बस परमिट आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
76	BR52P-1660 (08.07.2026) श्री कौशल किशोर सिंह, पिता-श्री हरे राम सिंह, पता-मटासी, जिला-लखीसराय।	बबा राजाराम कॉलेज ऑफ एडुकेशन, लखीसराय।	टैक्स-07.10.26 फिटनेश-07.07.28 बीमा-07.07.27 प्रदूषण-07.07.27	

अन्यान्य :-

प्राधिकार की बैठक दिनांक— 25.08.2026 एवं 16.09.2026 का लंबित प्राप्त परमिट के समय—सारणी में संशोधन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)
77	BR46B-7095 (09.11.2012) श्री निवास कुमार सिंह, पिता—स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता—हंसाडीह, जिला—जमुई।	प्रकाशन—08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया—महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप—03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स—08.08.26 फिटनेस—24.03.27 बीमा—11.12.26 प्रदूषण—25.09.25	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०—BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री निवास कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है।

				महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेवले स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है।
78	BR46C-3247 (13.05.2014) श्री सुभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-12.11.26 फिटनेस-29.07.27 बीमा-15.09.26 प्रदूषण-23.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/

				उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है।
79	BR46P-5421 (21.03.2023) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, नियर शिव मंदिर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढा। माया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-08 (08 अप 08 डाउन)	टैक्स-13.09.26 फिटनेश-24.04.27 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-25.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की

			अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2026 में निर्गत किया गया है 4 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
80	BR46P-5739 (19.01.2024) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह,, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-06 (06 अप 06 डाउन)	टैक्स-16.10.26 फिटनेस-18.01.28 बीमा-16.01.27 प्रदूषण-28.01.27 ➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम हैं, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा

			जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2025 में निर्गत किया गया है 1 साल 1 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
81	BR21G-4953 (04.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3274 डाउन, नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौदी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-03.04.27 फिटनेश-16.02.27 बीमा-15.11.26 प्रदूषण-23.01.27 ➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की

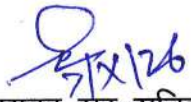
				कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 साल 8 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3274 डाउन नवादा 3 नं० बस स्टैण्ड से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
82	BR27RA-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3208 डाउन, नवादा से महिसौदी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-14.10.26 फिटनेस-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी

			अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3208 डाउन नवादा से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
--	--	--	---

83	BR52P-6553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-02.04.27 फिटनेस-02.04.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-22.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम हैं, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी। आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 1 साल 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु
----	---	---	--	---

				पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है।
84	BR27GB-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से महिसौढ़ी चौक, जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-14.10.26 फिटनेस-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार

			बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
--	--	--	--


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक - सा0-01-01/2026/परि0.....506....., दिनांक 07/10...../2026
 प्रतिलिपि - श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
 को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।